<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>(शुद्धिपत्र)</u>

<u>7.49 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2017 की अदायगी-प्रेस विज्ञप्ति के लिए शुद्धिपत्र जारी करना।</u>

<u>भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 22 मार्च 2017 की प्रेस विज्ञप्ति में, अर्थात-</u>

"**7.49 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2017** की बकाया शेष राशि की **13 अप्रैल, 2017** को मूल्य पर अदायगी देय है। **(14, 15 और 16 अप्रैल, 2017 को क्रमश: बैंक अवकाश शनिवार और रविवार है।) 16 अप्रैल, 2017 से उस पर कोई ब्याज उपचित नहीं होगा। 13 अप्रैल, 2017** को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर, उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण की अदायगी पूर्व कार्य दिवस को की जाएगी ।"

इसे ऐसे पढ़ा जाएगाः

"**7.49 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2017**की बकाया शेष राशि की 15 **अप्रैल, 2017** को मूल्य पर अदायगी देय है। **(16 अप्रैल, 2017 को रविवार है।)** 16 अप्रैल, 2017 से उस पर कोई ब्याज उपचित नहीं होगा। 15 अप्रैल, 2017 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर, उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण की अदायगी पूर्व कार्य दिवस को की जाएगी ।"

2. दिनांक 22 मार्च 2017 की प्रेस विज्ञप्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वही रहेगीं।

भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रभाग,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांक 11 अप्रैल, 2017